

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 129/2020

1. Smt. Vimla Devi W/o Late Shishram, Age 44 Years, Resident of Badsari Ka Bas, Tehsil Surajgarh, District Jhunjhunu, Rajasthan.
2. Rishikesh W/o Surendra D/o Shishram, Aged 24 Years, Resident At Present Abad, Sihor, Tehsil Khetri, District Jhunjhunu, Rajasthan.
3. Manjeel S/o Late Shishram, Age 20 Years, Resident of Badsari Ka Bas, Tehsil Surajgarh, District Jhunjhunu, Rajasthan.

----Appellants

Versus

1. Pradeep Kumar S/o Shri Kalyan Singh, Resident of Gothra, Tehsil Khetri, District Jhunjhunu, Rajasthan (Driver).
2. Nasir S/o Fakir Mohammad, Resident of Gothra, Tehsil Khetri, District Jhunjhunu, Rajasthan (Owner).
3. Shri Ram General Insurance Company Limited, EPIPI, RIICO Industrial Area, Sitapura, Jaipur (Insurance Company).

----Respondents

For Appellant(s)	: Mr. Ram Sharan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

11/12/2025

1. अपीलार्थीगण श्रीमती विमला देवी वगैरा द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश), खेतड़ी, जिला झुंझुनू (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-135/2014, विमला देवी व अन्य बनाम प्रदीप कुमार व अन्य में पारित

निर्णय दिनांक 05.10.2019 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मृतक अमित कुमार की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 1,05,81,000/— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थीगण को कुल 6,98,000/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आय 6,000/— रुपये मासिक निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि मृतक वक्त घटना हलवाई का कार्य करके 15,000/— रुपये मासिक आय अर्जित करता थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय वृद्धि बाबत कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिलवाई गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 04.05.2014 की बताई गयी है तथा क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 22 वर्ष की आयु का होना बताते हुए हलवाई का कार्य करके 15,000/— रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु

मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आय न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 200/- प्रतिदिन की दर से 6,000/- रुपये मासिक निर्धारित की गई है। वक्त घटना मृतक का हलवाई का कार्य करना तथा दुर्घटना से पूर्व मृतक का केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही कुक के पद पर चयन होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में हम, मृतक के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की मासिक आय 210/- रुपये प्रतिदिन की दर से 6,300/- रुपये मासिक निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। इस बिन्दु पर विद्वान अधिकरण का निर्णय संशोधित किये जाने योग्य है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य: (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित मासिक आय 6,300/- रुपये पर 40 प्रतिशत की भविष्य-वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 6,300/- रुपये का 40 प्रतिशत 2,520/- रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल मासिक आय 8,820/- रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। अपीलार्थिया संख्या-02 मृतक की विवाहिता बहिन है जो अपने पति पर आश्रित है, उसे किसी भी प्रकार से मृतक भाई पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता तथा अपीलार्थी संख्या-3 मृतक का वयस्क भाई है, ऐसी स्थिति में उसे मृतक पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता। अतः मृतक जो कि अविवाहित था, उसके व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती की गई है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। 8,820/- रुपये का 1/2 भाग 4,410/- रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 4,410/-

रुपये होती है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा (उपरोक्त)** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 4,410/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $4,410 \times 12 \times 18 = 9,52,560/-$ रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को अपने पुत्र के निधन होने से पुत्र वियोग, सेवा-सुश्रुषा व बुढ़ापे का सहारा आदि से वंचित होने पर कंसोर्टियम की मद में 10,000/- तथा अपीलार्थी संख्या 2 व 3 को अपने भाई से मिलने वाले लाड़-प्यार, स्नेह व संरक्षण से वंचित होने पर प्रत्येक को 5,000/- रुपये, कुल 10,000/- रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य : (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरी राम व अन्य : (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरी राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हम, मृतक की माता अपीलार्थी संख्या 1 को, मृतक की बहन अपीलार्थी संख्या 2 व मृतक का भाई अपीलार्थी संख्या 3 को "फिलियल कंसोर्टियम" की मद में प्रत्येक को 48,000/- रुपये (कुल 1,44,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 15,000/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है। उक्त मद में हम **प्रणय सेठी**

(उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद 15,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है। अतः इस मद में भी हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण विमला देवी वगैरा निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	9,52,560 /— रुपये
2.	कंसोर्टियम के मद में	1,44,000 /— रुपये
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 /— रुपये
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 /— रुपये
5.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि	11,32,560 /— रुपये
6.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	6,98,000 /— रुपये
7.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	4,34,560 /— रुपये

13. तदनुसार अपीलार्थीगण श्रीमती विमला देवी वगैरा की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को 6,98,000/— रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 11,32,560/— रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

14. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

15. तदनुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal /07